फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री देवीलाल बनाम विपक्षी : श्री भूमिधारी जरिये तहसीलदार भीण्डर व अन्य

किस्म मुकदमा – 136 भू.राजस्व अधिनियम पत्रावली संख्या : 94/24

क्रमांक	कार्यवाही विवरण

दिनांक 14.01.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी व अधिवक्ता विपक्षी उपस्थित। राजपेरोकार उपस्थित। प्रकरण में बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। राजपेरोकार द्वारा रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार मौजा नारायणपुरा पटवार हल्का बडगांव तहसील भीण्डर की साबिक आराजी संख्या 1322/896 में से 2 बीघा भूमि प्रार्थी तथा प्रार्थी के भाई नारायणलाल द्वारा क्रय की तब से प्रार्थी एवं प्रार्थी के भाई नारायणलाल का कब्जा उपयोग उपभोग चला आ रहा था। नवीन सेटलमेंट के बाद उक्त साबिक आराजी न. के नवीन आराजी संख्या 2604/2364 किता 1 रकबा 0.3700 है. कायम किये गये जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी एवं प्रार्थी के भाई नारायणलाल अहीर के नाम पर दर्ज हैं। आराजी संख्या 2604/2364 रकबा 0.3700 है. भूमि पर प्रार्थी का कब्जा उपयोग उपभोग चला आ रहा है। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार नवीन सेटलमेंट के बाद उक्त भूमि की तरमीम साबिक राजस्व नक्शे एवं कब्जे अनुसार नहीं की गई। नवीन सेटलमेंट के बाद प्रार्थी की उक्त भूमि को उत्तर–दक्षिण दर्ज कर दी गई जो गलत है तथा प्रार्थी की साबिक नक्शे में वर्णित पूर्व दिशा की कब्जे की भूमि को बिलानाम भूमि राज्य सरकार दर्ज कर आराजी संख्या 2368 अंकित कर दिये गये जबकि उक्त भूमि साबिक नक्शे के अनुसार प्रार्थी का कब्जा हो उपयोग उपभोग चला आ रहा हैं। इस प्रकार नवीन सेटलमेंट के नक्शे में भी प्रार्थी की उक्त भूमि साबिक नक्शे अनुसार ही राजस्व रेकर्ड में दर्ज होनी चाहिये थी जिससे प्रार्थनाग्रस्त भूमि की तरमीम को शुद्व किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर से प्राप्त रिपोर्ट के अवलोकन से पाया कि तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि राजस्व ग्राम नारायणपुरा की जमाबंदी संवत् 2078–81 अनुसार नवीन आराजी न. 2604/2364 किता 1 रकबा 0.3700 है. किस्म आबादी 0.0300 है. बारानी प्रथम 0.3400 है. खातेदारान देवीलाल, नारायणलाल पिता लक्ष्मण जाति अहीर सा. मोरवण तहसील डूगला खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। तहसीलदार भीण्डर द्वारा बताया कि उक्त खातेदारी भूमि पर प्रार्थी का कब्जा सेटलमेंट विभाग द्वारा नक्शा शीट अनुसार न होकर संलग्न प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार हैं। तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रार्थीगण का कब्जा वर्तमान नक्शा शीट के आराजी न. 2604/2364 व 2368 के आंशिक भाग पर होना बताया तथा उक्त कब्जे अनुसार प्रार्थीगण विगत कई वर्षो से कब्जा शुदा भूमि का ही खातेदारी भूमि के रूप में उपयोग किया जाना बताया साथ ही यह भी बताया कि कब्जा शुदा भूमि 2604/2364 के उत्तरी और जहां वर्तमान नक्शा शीट अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि बतायी गयी, वहां प्रार्थी व लोगो द्वारा खाली पड़त भूमि होना बताया गया हैं। तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस प्रस्तुत कर उसी अनुसार तरमीम किया जाना प्रस्तावित किया।

प्रकरण में तहसीलदार से [illegible] है [illegible] का कब्जा सेटलमेंट विभाग द्वारा नक्शा शीट अनुसार न होकर प्रस्तावि[illegible] अनुसार हैं। तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में बत[illegible]जी न. 2604/2364 व 2368 के आंशिक [illegible] तथा उक[illegible] विगत कई वर्षो से होना

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 14:28:19 IST
Reason: SelfAttested

बताया साथ यह भी बताया की आराजी न. 2604/2364 के उत्तरी ओर जहां वर्तमान नक्शा शीट अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि बताई गई वह भूमि खाली पडत होना बताया।

अतः उपरोक्त विवेचन, तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि नवीन सेटलमेंट के बाद प्रार्थी की भूमि की तरमीम गलत अंकित कर दी गई जिसे न्यायहित में सुधारा जाना आवश्यक हैं। प्रकरण में माननीय जिला कलक्टर महोदय द्वारा समस्त न्यायिक (राजस्व) अधिकारियों को भू-प्रबन्धन विभाग द्वारा की गई त्रुटियों को राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार व माननीय राजस्व मण्डल के अपील/एल.आर./6933/2011/उदयपुर में दिये गये निर्णय एवं राजस्व ग्रुप-6 विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र कंमाक प.(12) राज.16/92/26 दिनांक 20.12.1995 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि सेंटलमेंट के दौरान हुई त्रुटियों को सुधारा जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा नारायणपुरा पटवार हल्का बडगांव तहसील भीण्डर की आराजी नं. 2604/2364 व आराजी नं. 2368 की तरमीम तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रस्तावित (संलग्न) नक्शा ट्रेस अनुसार किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 14:28:19 IST
Reason: SelfAttested